

न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

क्रमा
149/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
01.10.2019

निर्णय दिनांक
12.10.2020

उनवान सरकार बनाम ईश्वर पुत्र हरदयाल सिंह जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड की राजकीय भूमि बंजड़ ख0 न0 622 कुल रकबा 1.82 है0 मे से 0.10 है0 पर अतिक्रमी ईश्वर पुत्र हरदयाल सिंह जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से पक्की दुकान व पक्की दीवार बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्की दुकान व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्की दुकान व पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 18.00/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 2.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 100/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.ने. सं. 4 वर्ष 8000-81 के पृ. सं. 76
पर 100/- की प्रांग कायम की गई।

(लक्ष्मीनारायण यादव)
नायब तहसीलदार बुहाना

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
बुहाना